रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट

कार्यालय वन संरक्षक /क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर

पत्रांक 630/14–10 सहारनपुर अगस्त 29–2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम–1980
उ0प्र0 लखनऊ।

विषयः– जनपद मुजफ्फरनगर में उ0प्र0 पॉवर ट्रांमिशन कार्पो0 लि0 मुजफ्फरनगर द्वारा 132 के0वी0 मुजफ्फरनगर–जानसठ लीलो भोपा (भोकरहेड़ी) लाईन के निर्माण हेतु 0.1944 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 12 वृक्षों के पातन की अनुमति प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Trans/26409/2017

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य) का पत्रांक 8बी / यू0पी0 / 04 / 56 / 2018 / एफ0सी0 / 202 दिनांक 20.6.2018 तथा आपका पृष्ठांकन पत्रांक 5387 / मु0नगर / 26409 / 2017 दिनांक 27.6.2018

महोदय,

इस कार्यालय के पत्रांक 4603 / 14–1 दिनांक 28.6.2018 द्वारा उक्त संदर्भित कम में आपत्तियों का निराकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर को निर्देशित किया गया, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर द्वारा अपने पत्रांक 497 / 14–1 दिनांक 16.8.2018 द्वारा उक्त कम में सूचना प्रेषित की गयी, जिसके कम में आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार प्रेषित है :–

Obs No.	Observation of G.O.I.	Repley
1.	प्रस्तावित वन क्षेत्र ईको सेन्सिटिव क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, अतः इस बावत मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक वन्य जीव की संस्तुति / सहमति प्रस्तुत करें।	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक F.No.8-64/2013-FC dt 20-8-2014 एवं No-01-20/2014/WL dt.26-9-2014 (छाया प्रति संलग्न) के प्राविधानों के अनुसार प्रकरण में वन्य जीव बोर्ड की अनापत्ति की आवश्यकता नहीं है। जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत हस्तिनापुर वन्य जीव विहार का प्रबन्धन प्रभागीय निदेशक / उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर द्वारा किया जाता है। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 सरकार, वन अनुभाग–4 की पत्र संख्या–26851 / 14–4–93 दि0 18.10.93 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा प्रभागीय वनाधिकारियों एवं प्रभागीय निदेशकों को अपनी–अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक नियुक्त किया गया है।
2.	SOI Toposheet की मूल प्रति प्रस्तुत करें।	SOI Toposheet की मूल प्रति पूर्व में ही प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या– 51 व 52 पर संलग्न कर प्रेषित की जा चुकी है।
3.	FRA Certificate के अन्तर्गत Primitive Tribal Group एवं Pre Agricutural communities के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है।	FRA Certificate के अन्तर्गत Primitive Tribal Group एवं Pre Agricutural communities के सम्बन्ध में उल्लेख करते हुये संशोधित FRA Certificate की एक मूल प्रति एवं 2 प्रमाणित छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत कराने की कृपा करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(वी0 के0 जैन)
वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक
सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।

पत्रांक 630/14–10 दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(वी0 के0 जैन)
वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक
सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर

F. No. 8-64/2014-FC
Government of India
Ministry of Environment, Forests and Climate Change
(FC Division)

Indira Paryavaran Bhawan,
Aliganj, Jorbagh Road,
New Delhi - 110003
Date: 20th August, 2014

To

The Principal Secretary (Forests),
All State/UT Governments.

Sub: **Guidelines regarding de-linking of grant of forest clearance from the clearance from the Standing Committee of the National Board for Wildlife (NBWL).**

Sir,

I am directed to inform that, The Ministry has come across several instances where grant of forest clearance under the Forest (Conservation) Act, 1980 is pending for want of clearance from the Standing Committee of the NBWL for the projects falling within Eco-sensitive zones of the protected areas or within 10 km distance from PAs(where Eco-Sensitive zones are not notified). Many a time, cases of forest clearance got undul / delayed for long time resulting into unwarranted pendency of forest clearance cases. Further, clearance from the Standing Committee of the NBWL is granted under the provisions of Wildlife (Protection) Act, 1972 which is altogether different from the provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980. Taking cognizance of this fact, the matter was examined in this Ministry, and it is decided that approval being granted under the Forest (Conservation) Act, 1980 will not be linked to the grant of clearance from the Standing Committee of the NBWL except in cases where land proposed for diversion falls within protected areas for which prior approval of the Hon'ble supreme court is required.

This issues with the approval of competent authority.

Yours faithfully,

(M. Rajkumar)
Assistant Inspector General of Forests

Copy to:-

1. The Principal Chief Conservator of Forest, All State/UT Governments.
2. The Addl. PCCF (Central), All Regional Offices of the MoEF&CC.
3. The Nodal Officer (FCA), Office of the PCCF, All State/UT Governments.
4. Director (BKS)/Director (ROHQ)/AIGF (FC)
5. Sr. PPS to DGF&SS, PS to Addl. DGF, PS to IGF(FC)
6. Monitoring cell, FC Division, MoEF&CC, New Delhi.
7. Guard File.

(M. Rajkumar)
Assistant Inspector General of Forests

No.1-20/2014/WL
Government of India
Ministry of Environment, Forests and Climate Change
(Wildlife Division)

Indira Paryavaran Bhawan,
Jor Bagh Road,
New Delhi
Dated: 26th [illegible] 2014

OFFICE MEMORANDUM

Sub: [illegible] of development projects located within 10 km of National Park and Sanctuaries seeking environmental clearance under EIA Notification, [illegible] O.M. issued by IA Division providing clarification-reg.

[illegible] of O.M. No.J-11013/41/2006-IA-II (I) (part) dated 20th August, 2014 is enclosed for reference and necessary action.

2. [illegible] of recommendation of Standing Committee of NBWL for the projects located outside the limits of National Parks or Wildlife Sanctuaries [illegible] by the Wildlife (Protection) Act, 1972.

3. [illegible] apparent from the Office Memorandum enclosed, the requirement of clearance [illegible] from the Standing Committee of NBWL is part of Environmental Clearance [illegible] projects from the Standing Committee of NBWL is part of Environmental Clearance (EC) process pursuant to the Supreme Court Order dated 04/12/2006 in WP [illegible] 460/2004 [illegible] the process for referring the cases to Standing Committee of NBWL in Ministry [illegible] [illegible] been elaborated in O.M. dated 20th August,2014 (enclosed).

4. [illegible] requested that the Office Memorandum enclosed with the clarification may be made available to all the subordinate offices and public so that any proposals of clearance of [illegible] Environment Clearance (EC) cases located in the areas outside National Parks and Sanctuaries are not taken up for processing at the State level. Wherever applicable, the proposals will be referred to Standing Committee of NBWL within the Ministry itself as detailed [illegible] II to IV of the Office Memorandum. Project proponents approaching the Forest Departments in this respect may be advised accordingly.

5. This is for information and necessary action. This communication may be given appropriate publicity.

(M. [illegible] Srivastava)
Dy. Inspector General of Forests
Tele: [illegible]

Enclosure: Office Memorandum dtd. 20th August, 2014

To

1. The Principal Secretaries
All States/UTs Forests Departments.
2. The Principal Chief Conservator of Forests
and Chief Wildlife Wardens
All States/UTs Forests Departments.

Copy to:

i) PS to MOS(IC)EF&CC.
ii) PPS to Secy.(EF&CC)
iii) PPS to DGF&SS
iv) PPS to JS (AT)
v) PPS to JS (AS)

उत्तर प्रदेश शासन
वन अनुभाग-4
संख्या- 2085/14-4-93
लखनऊ: दिनांक 19 अक्टूबर, 1993

<u>अधिसूचना</u>

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (अधिनियम संख्या 53 सन् 1972) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल समस्त क्षेत्रीय वन संरक्षकों और क्षेत्रीय निदेशकों को अपर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, प्रभागीय वन अधिकारियों और प्रभागीय निदेशकों को उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, सहायक वन संरक्षकों को वन्य जीव प्रतिपालक और वन रेंजरों, उप रेंजरों और वन दरोगाओं (फारेस्टर) को सहायक वन्य जीव प्रतिपालक के रूप में, अपनी-अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से,

गोविन्द सिंह
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 2085 (1)/14-4-93-तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को अंग्रेजी अनुवाद सहित इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना को उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) में आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें और उसकी 1000 प्रतियाँ शासन के वन अनुभाग-4 को भेज दें।

आज्ञा से,
([illegible])
अनु सचिव।

<u>संख्या- (2)/14-4-93-4, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(2) मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) [illegible], उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) निदेशक [illegible], उत्तर प्रदेश।
(5) सचिव [illegible] भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, सी०जी०ओ० काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
(6) [illegible], इलाहाबाद।
(7) समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
([illegible])
अनु सचिव